

मुकदमा नं०	खसरा नं०	रकबा बी - बि	जातेदार/हितदार का नाम
92/88	153	12-13	प्रभु दयाल पुत्र राम नाथ अहीर सा. देह.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 153 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में प्रभुदयाल पुत्र रामनाथ कौम अहीर के नाम दर्ज हैं।

केन्द्रीय भूमि अधिष्ठा अधिनियम की धारा 9 व 10 के अंतर्गत जातेदार/हितदार को तामील हुनिन्दा व रजिस्टर्ड रु. डी. द्वारा दिनांक 5-4-91 को नोटिस जारी किए गए। अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जातेदार/हितदार का पूर्ण पता नहीं होने के कारण नोटिस पुनः प्राप्त हुए। तत्पश्चात दिनांक 7-5-91 को दैनिक नवज्योती व नवभारत लाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

श्री मनदीप सिंह जी भभाधक द्वारा दिनांक 17-5-91 को प्रभुदयाल पुत्र रामनाथ की ओर से वस्त्र प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया जिसकी प्रति जीवजा के अभिभाषक को दी गई। वस्त्र प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि इस क्षेत्र की भूमि को नियमों के अन्तर्गत यदि आबादी की मानकी गई है तो उसका औसत मुआवजा कम से कम 200/- रुपये अर्थात् 6,05,000/- रुपये प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता और यदि इस तथ्य पर अंकलन किया जाये तो जयपुर विकास प्राधिकरण की संदर्भित भूमियों का मुआवजा 200 करोड़ रुपये से भी अधिक, अलावा भूमि पर स्थित स्ट्रेचर पेड़-पौधे इत्यादि के मुआवजा राशि के देय होगा। साथ ही इसके विकास पर व्यय करने की अनिवार्य तौर पर 8000/- करोड़ रुपये और चाहिएगा।

भूमि खसरा नं. 153 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् कुल रकबा 36,300 वर्गगज में से 40 प्रतिशत के हिसाब से 15,306 कम करने पर बाकी 22,994 वर्ग गज रहते हैं जिसकी बाजारी दर 260/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से 59,69,600/- रुपये पाने का अधिकारी है।

1-	जमीन की कीमत	59,69,600/-
2-	स्ट्रेचर जिमें पाईप लाईन 1,150 स्क्वायर फुट जोटी होज 3 12x10 फुट की कीमत	11,500/-
3-	बड़ा होद रुक जिसका मूल्य	60,000/-
4-	बसुल के 8 रुक 25 वर्ष पुराने जिसके लुम पातड़ी व छड़ी प्रत्येक पेड़ से 200/- रु. आय व प्रत्येक रुक पर व्यय 40/- रु. की राशि	35,000/-
5-	छेजडा के 20 रुक 25 वर्ष पुराने का मूल्य	12,800/-
6-	तफेदा 5 पेड़ प्रत्येक पेड़ का मूल्य 500/- रु.	48,000/-
7-	पेड़ के 15 पेड़ जो 5 वर्ष पुराने है का मूल्य	2,500/-
8-	बुबुल के 57 पेड़ जिसका मूल्य 500/- रु. प्रति पेड़	36,000/-
9-	अमरुद के 6 पेड़ 25 वर्ष पुराने है दर 3000/-	28,500/-
10-	रुब के 5 पेड़ 10 वर्ष पुराने दर 400/-	18,000/-
11-	आंवला 2 पेड़ 25 वर्ष पुराने का मूल्य	2,000/-
	कुल योग:-	38,000/-
		62,61,900/-

जयपुर विकास प्राधिकरण
राजस्थान
जयपुर

प्रार्थी ने अपने स्लेम प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया है कि केन्द्रीय भूमि अधिप्ता अधिनियम 1894 अर्थात् 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 से अधार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है। तथा केन्द्रीय भूमि अधिप्ता अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अधिप्ता चार्ज पाने का अधिकारी है तथा अधार्ड के पश्चात् अर्थात् केन्द्रीय भूमि अधिप्ता अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत स्क वर्ग तथा स्क वर्ग पश्चात् 15 प्रतिशत व्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है। एवं प्रार्थी ने स्लेम प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि केन्द्रीय भूमि अधिप्ता अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट में भूमि की अधिप्ता के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को एवं भूमि अधिप्ता अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि जित्त जातेदार को भूमि को अधिप्ता किया जाये उसको निवास भूखण्ड व व्यवसाय करने हेतु दुकान रिजर्व प्राइस पर आवंटन किया जाये। जैसा कि भूतपूर्व भूमि अधिप्ता अधिकारी नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर नगर विकास न्याय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाल कोठी योजना एवं मातवीया नगर योजना व संजय मार्केट जयपुर में जित्त जातेदारों की भूमि को अधिप्ता किया गया है उन्हें स्क हजार पन्द्रह सौ वर्गमि के भूखण्ड और व्यवसाय करने हेतु दुकान दी गई है अतः प्रार्थी को निवास हेतु उक्त योजना में 1500 वर्गमि का भूखण्ड व व्यवसाय करने हेतु स्क दुकान रिजर्व प्राइस पर आवंटित की जाये।

मनदीप सिंह अभिभाषक ने दिनांक 29-8-91 को प्रमाणित कमा बन्दी व कोटों प्रति छतरा गिरदायरी तथा 6 विक्रय पत्रों की प्रमाणित कोटों प्रति पेश की तथा स्क लिखित बटल पेश की गई।

विक्रय पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 88 की कोटों प्रति में श्रीमती गायत्री देवी पत्नी मोरी शंकर की भूमि छतरा नं. 460/584 0-30 हेक्टेयर पक्की है जिसे 33,000/-में बेचान बताया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मणसिंह की भूमि ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में भूमि छतरा नं. 206 रकबा 4 बीघा का बेचान 90,000/- रुपये में दिनांक 7-8-89 का बतलवा बताया गया है।

श्रीमती ललित देवी पत्नी मोहन लाल की भूमि महापुरा तहसील सांगानेर में भूमि छतरा नं. 27/1 रकबा 7 बीघा स्थित है जिसमें 1/4 हिस्से का बेचान 1,39,999/- रुपये दिनांक 21-7-89 को बेचान बताया है।

रामनारायण पुत्र मोरी लाल के विक्रय पत्र भूमि छतरा नं. 924 रकबा 3 बीघा 15 दिसवा बारानी दोयम व 924/1510 रकबा 19 दिसवा बारानी पुन

भूमि अधिप्ता अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में बिस्वा 1/2 बिस्वा का है। इस कृषि भूमि मय कोठी, फुलता नाल आदि के हि- 1/4 अभिभाजित का बिस्वा अभिभाजित छातेदारान कृषक स्व में बिना किसी के अन्य व्यक्त के ताबे व बिस्ते के सम्मान का बिज है। स्थित पुत्र आदि तीव्रत मुबालिग स्वया 85,000/-रु. में जेता भव र लाल शर्मा के हक में विक्रय किया। विक्रय पत्र प्रेम मंद गोलेन पुत्र उमराव मल ने अपनी भूमि छ.नं. 1129/2841 रकबा 0.24 हेक्टेयर बाही उत्तम ग्राम भांकरौटा अंतर्गत तहसील सांगानेर जवपुर में स्थित है जो मुबालिग स्वया 1,44,000/-रु. में श्री नवरत्न कोठारी स्व.पू.स्क को दिनांक: 21.6.90 को बेयान किया। जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति पेश की गयी है तथा एक और विक्रय पत्र को 9 मापित फोटो प्रति श्रीमती संगीता पत्नी श्री विजय कुमार का भूमि छ.नं. 523 रकबा 0.92 हेक्टेयर ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर की भूमि का बेयान 1,40,000/-रु. में जेता श्री नवीन पिलानिया पुत्र ज्ञान प्र काश पिलानिया को मय बोल, तौल पानी, पूला, मय डोल, पुल आदि तीव्रत दिनांक 22.12.90 को बेयान किया जा है। अभिभाजक श्री मनदीप सिंह ने लिखित बहस पेश की गयी है।

जवपुरबिकाल प्राधिकरण के अभिभाजक श्री के.पी. मिश्रा ने छातेदार प्रमुदयात पुत्र रामनाथ ने जो मुआवजा राशि की मांग की है के सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है लेकिन मौखिक रूप से कहा कि दावेदारान द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है और उसमें जो आपत्ति उठाई गई है वह आपत्तियां नियमानुसार धारा 4 के गैरट नोटिफिकेशन के बाद स्व धारा 3-ए की आपत्तियों को सुनवाई की विधिक अधि में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा जो मुआवजे की मांग की गई है वह बहुत अधिक है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्टर आदि की जो मुआवजे की मांग की है वह बहुत अधिक है क्योंकि किसी भी रजिस्टर्ड पैल्पर से प्रमाणित नहीं कराया गया है एवं मनमाने तौर पर उक्त क्लेम को पेश किया गया है। छातेदार द्वारा जो भूमि के प्रिक्ल्यपत्र पेश किए हैं वे किसी भी तरह से छातेदार के हक में नहीं है क्योंकि दिनांक 29 सितम्बर, 1988 को विक्रय पत्र में भूमि का बेयान 33,000/-रुपया बताया गया है। ये बेयान उक्त भूमि के एक छोटे से भाग का है और कृषि उपयोग के रूप में रिकवा जाना प्रतित नहीं होता है तथा अन्य रजिस्ट्रीयों वर्ष 1988 के बाद की है जो मान्य नहीं है एवं भूमि का मुआवजे की राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। दावेदार द्वारा लिखित बहस जो पेश की गई है उसके क्रम में लेख है कि भूमि अवापि की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। केन्द्रीय भूमि अवापि अधिनियम में यह



श्री. प्रकाश अधिकारी
ज्वाल विभागाध्यक्ष
ज्वालपुर

स्पष्ट है कि भूमि अधिपति की कार्यवाही अनिवार्य अधिपति में माना गया है तथा अन्य विनियम कानूनी है। दावेदार द्वारा जो आवास देय पाही गई है वह दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम जीप्रा के अभिभावक श्री के.पी. मिश्रा के इस कथन से सहमत हैं।

केन्द्रीय भूमि अधिपति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमा में सार्वजनिक नोटिस भी तामील हुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील संघायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम संघायत व तत्संबंध को दिये गये व चस्था कराये गये जो दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये।

मुआवजा निर्धारण:-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक: 4-5/15/नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि को निर्धारण नहीं किया। इस संबंध में इस कार्यालय पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91 के द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर तथा आयुक्त जीप्रा एवं सचिव को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गीत कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जाये। इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मीटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन वर्ष 7-7-88 को हुआ था इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष्य में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उपमंडलीयों के यहाँ

पुष्पवीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रीजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

जहाँ तक उपरोक्त छतारा नम्बरान के छातेदारान/छितदारान के मुआवजे निर्धारण का प्रश्न छातेदारान द्वारा भूमि के मुआवजे की राशि बिना किसी आधार के तथा मनमाने तौर पर खर्च ना ही किसी रीजिस्टर्ड वेल्थवर से स्ट्रेक्चर की प्रमाणित कराया है। अतः छातेदारान की भूमि के मुआवजे की राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से दी जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जीवप्रा जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पता ज्ञात किया गया जीवप्रा के सीपव ने पत्र क्रमांक:टी.डी.आर./91/336 दिनांक 5.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम गोपालपुरा में 20,000/-रु. प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रीजिस्ट्रेशन हुआ था इसलिये जहाँ तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस संबंध में उप संबंधित स्व तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार, जीवप्रा प्रथम ने अपने पु.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा ग्राम गोपालपुरा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के जातपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अर्पाई जारी किये गये थे जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जीवप्रा के अभिमाधक ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के जातपास के क्षेत्र में 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अर्पाई पारित किये गये थे।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

एम प्रबोधि अधिकारी
नगर विकास प्रसिनाये
जयपुर

केन्द्रीय भूमि अधिष्ठा अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयसीमा निम्न है ।

जहाँ तक पेड़-पौधे, कुएँ, तालों एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है छातेदारान द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया है और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकमीनी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर यदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकमीनी रूप से अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुक्तान विधिक रूप से मालिकाना एक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण परीशिट "ए" के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अधिष्ठा अधिनियम की धारा 23(1)-(2) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत तोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परीशिट "ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक प्रथम स्व. लक्ष्म अधिकारी, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि मुख्य राज नगर योजना के समस्त 28 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं अल्टर अधिनियम 1976 के प्रभाषित है लेकिन इन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अल्टर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं । ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अधिष्ठा अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं ।

अतः यह अवार्ड दिनांक 25/7/91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।

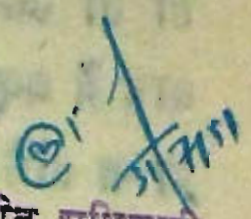
संलग्न: परीशिट "ए" गणना तालिका

भूमि अधिष्ठा अधिकारी,
नगर विकास योजना,
जयपुर ।

आर. वि. वि. वि.

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक
प-6(15) जलिका [87 पार्स दिनांक 31-7-91
के द्वारा ^{अधीन} कंठमादि से होकर इन कार्यालय
को प्राप्त हुआ है।

आज दिनांक 31-7-91 को ऊपर
से इजलास वर्गीकृत कर शामिल
मिसल किया जाता है।


भूमि अकस्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

परीक्षित"ए" गणना तालिका ग्राम मोकुलपुरा तहसील जयपुर

क्र.सं.	मुकदमा नं०	नाम हातेदार/हितदार	खसरा नं०	अप्राप्तयोग्य भूमि की भूमि का कुल तोलेवाय्य अतिरिक्त	भूमि का रकबा मुजाबरा	भूमि का मुजाबरा	30.2	12.2	कुल योग	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

1.	92/88	श्री प्रभु दयाल पुत्र रामनाथ कौम अहीर ता. देह	153	12-13	24,000/-	3,03,600/-	91,000/-	1,11,207/-	5,05,807-00	
----	-------	--	-----	-------	----------	------------	----------	------------	-------------	--

नोट :- 1. तोलेवाय्य 30.2 क तम संख्या 7 पर मुजाबरा राशि पर दिया गया है ।

2. अतिरिक्त राशि 12.2 की छ गणना धारा 4.1.1 के गण्ट 1 फ्लॉक 7-7-1988 से 25-7-1991 तक पर की गई है ।

सुमि प्रदीप जीवशरी,
जयपुर विकास योजना
नगर विकास परियोजना, जयपुर ।